

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

3031/10/2016/10/6/1

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता0.....


से.....

जिला-खगड़िया.....

सा0.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट कर के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
24.04.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1352/सी0आर0 दिनांक 12.04.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-490/2016 दिनांक 07.08.2016 धारा-47(ए0) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-42 पीस तथा इम्पेरिम ब्लू विस्की-20 पीस विदेशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। जप्त विदेशी शराब सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि खगड़िया थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>  <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>	<p>Handwritten notes in Hindi and English, including a signature and date: '24/4/17', '2017', and 'L. Prasad, District Magistrate, Khagaria, Bihar'.</p>